समक्ष उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

विविध अपील नं. 149 /2006

<u>अपीलकर्ता</u> प्रतिवादी	अशोक कुमार साहू, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता राधेलाल साहू, निवासी बुधवारी पारा, डॉ. चौहान के घर के सामने, डोंगरगढ़ जिला. राजनंदगांव

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> वादी	मधुसूदन, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता दुर्गा शंकर अग्रवाल निवासी नरसिंह वार्ड, गुट्टानी के मकान के सामने , डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव

अपील अंतर्गत आदेश 43 नियम (1) (द) व्यवहार प्रक्रिया संहिता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मामला क्र. विविध अपील नं. 149 /2006

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

13.11.2016

अपीलार्थी–अशोक कुमार द्वारा श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता

प्रतिवादी–मधुसुदन द्वारा श्री अमियकांत तिवारी, अधिवक्ता

पक्षकारों के अनुरोध पर इस विविध अपील पर अंतिम सुनवाई की गयी है।

यह अपील प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा विविध न्यायिक प्रकरण क्रमांक 17/2004 में पारित दिनांक 18.01.2006 के आदेश के विरूद्ध निर्देशित है, जिसके तहत प्रतिवादी/अपीलार्थी–अशोक कुमार साहू द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी–अशोक कुमार साहू के विरूद्ध दिनांक 18.06.2004 के एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को निरस्त करने के लिए आदेश 9 नियम 13 व्य. प्र. सं. के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 15.01.2004 को प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए वाद प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी/अपीलार्थी के विरूद्ध जारी आदेशिका तामीलकर्ता केवल दास द्वारा इस रिपोर्ट के साथ वापस कर दिया गया कि दिनांक 21.12.2003 को जब वह नोटिस तामील कराने गया तथा बुधवारी मोहल्ले में प्रतिवादी के बारे में पूछताछ की तो प्रतिवादी उपस्थित नहीं था। उसे बताया गया कि प्रतिवादी गांव से बाहर गया हुआ है। प्रतिवादी की पत्नी घर पर मौजूद थी, जिसने नोटिस की प्रति लेने से इंकार कर दिया, जिसके कारण उसने घर के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा कर तामील करा दी। आदेशिका तामीलकर्ता केवल दास द्वारा दी गई ऐसी रिपोर्ट के अनुसरण में, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की और अंततः 18.04.2004 को अर्थात् पांच महीने से अधिक समय के पश्चात प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय और आज्ञप्ति रु. 60,000/– का पारित किया, जिस पर मुकदमे की तिथि से वसूली तक प्रतिवादी द्वारा 6% की दर से ब्याज देय था।

प्रतिवादी ने एक आवेदन आदेश 9 नियम 13 व्यवहार सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया, जिसे विविध न्यायिक वाद संख्या 17/2004 के रूप में दर्ज किया गया। उसने यह अभिवचन किया है कि वादी ने आदेशिका तामीलकर्ता केवल दास के साथ मिलीभगत करके समन तामीली की झूठी रिपोर्ट प्राप्त किया कि चस्पा के माध्यम से प्रतिवादी को तामिल किया गया है। यह अभिवचन किया गया कि न तो प्रतिवादी की पत्नी ने नोटिस लेने से इनकार किया और न ही आदेशिका तामीलकर्ता ने प्रतिवादी के घर के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा किया था। यह भी

अभिवचन किया गया कि प्रतिवादी को एक पक्षीय निर्णय और डिक्री के बारे में पहली बार 27.09.2004 को पता चला तो उसने निर्धारित परिसीमा की अवधि के भीतर दिनांक 08.10.2004 को आदेश 9 नियम 13 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया। यह आवेदन प्रतिवादी और उसकी पत्नी कुलेश्वरी के हलफनामों से समर्थित था। वादी–प्रतिवादी ने प्रतिवादी के सारे तर्कों का पूर्ण रूप से खंडन किया और प्रार्थना की कि यह आवेदन खारिज किए जाने योग्य है। प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजनांदगांव ने मामले का विचारण किया और अशोक कुमार (प्र. सा. 1) तथा कुलेश्वरी (प्र. सा. 2) के बयान दर्ज किए, साथ ही तामीलकर्ता केवल दास (एन. ए. 2) का बयान भी लिया।

श्री पराग कोटेचा, प्रतिवादी / अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आदेशिका तामीलकर्ता केवल दास की गवाही स्पष्ट रूप से दर्शित करती है कि वह वादी / प्रत्यर्थी के साथ मिलीभगत में काम कर रहा था। आदेशिका तामीलकर्ता की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण भिन्नता थी, जो कि पैराग्राफ 3 से प्रकट होती है कि तामिली को एक सुरेन्द्र नाम के व्यक्ति ने प्रमाणित किया था जबकि वह अपने बयान के कंडिका 3 मे बताता है कि समन्स की तामिली के समय एक दीपक नाम का व्यक्ति वहां उपस्थित था। आदेशिका तामीलकर्ता के गवाही के कंडिका 2 से भी यह स्पष्ट होता है कि उसने प्रतिवादी का पता लगाने या उसके घर की अवस्थिति का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था । अंत में, यह निवेदन किया गया कि आदेशिका तामीलकर्ता की गवाही के कंडिका 5 से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि वह वादी–डिक्रीधारी के साथ मिलीभगत में कार्य कर रहा था और उसने चस्पा कर नोटिस की तामिली की झूठी रिपोर्ट दी थी। इस आधार पर यह तर्क दिया गया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 18.01.2006 निरस्त किये जाने योग्य है और व्यवहार वाद क्रमांक 44–बी/2003 में दिनांक 18.06.2004 को पारित एक पक्षीय निर्णय और आज्ञप्ति भी निरस्त किये जाने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में ***कुंजलाल बनाम खोरबहरीन एवं अन्य*** 2005(2) सी.जी.एल.जे. 368 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है।

दूसरी ओर, श्री अमियकांत तिवारी ने *टी ऑक्शन लि. बनाम ग्रेड हिल* ***टी इंडस्ट्री एंड अन्य, 2006(7) सुप्रीम 279*** का अवलंब लेते हुए मात्र इसी आधार पर इस विविध अपील का विरोध किया कि एक पक्षीय निर्णय और डिक्री को निरस्त किया जा सकता लेकिन अधिक आर्थिक भार डालते हुए।

विरोधी पक्षों के तर्कों पर विचार करने के बाद, मैंने दीवानी वाद क्र. 44–B/2003 का अभिलेख और विविध वाद नं. 17/2004 का अभिलेख, आदेशिका तामीलकर्ता केवल दास के बयान और दिनांक 15.11.2004 को जारी प्रतिवादी को समन और चस्पा द्वारा समन्स की तामिली का आदेशिका तामीलकर्ता केवल दास के लिखित रिपोर्ट का परिशीलन किया। आदेशिका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तामीलकर्ता के रिपोर्ट में इस बात का कोई विवरण नहीं बताता है कि किस व्यक्ति ने प्रतिवादी के घर और उसकी पत्नी कुलेश्वरी का पहचान किया और यह भी कि उस महिला का नाम नही बताया है जिसने नोटिस स्वीकार करने से मना किया और न ही उसके बारे मे कोई विवरण दिया गया है। आदेशिका तामीलकर्ता का रिपोर्ट यह भी दर्शित करता है कि इस पर एक गवाह सुरेंद्र ने हस्ताक्षरित किया है, जिसका परीक्षण वादी/प्रत्युत्तरदाता द्वारा नहीं किया गया था। आदेशिका तामीलकर्ता केवल दास ने अपने बयान के पैराग्राफ 3 में कहा है कि नोटिस के चस्पा तामिली करने के समय मौजूद व्यक्ति का नाम शायद दीपक कुमार था। आदेशिका तामीलकर्ता के बयान के पैराग्राफ 4 में यह भी दर्शित है कि एक पड़ोस की महिला ने प्रतिवादी की पत्नी की पहचान की है। हालांकि, उस महिला का नाम आदेशिका तामीलकर्ता ने अपने रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया है, जो कि आदेश V नियम 18 व्य.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार अनिवार्य है। पैराग्राफ 5 में, आदेशिका तामीलकर्ता ने यह साक्ष्य दिया है कि वह वादी –डिग्रीधारक के साथ न्यायालय आया था और होटल में उसके साथ नाश्ता किया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने नाश्ते के लिए कोई भुगतान नहीं किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आदेश V नियम 18 के अंतर्गत, यह आवश्यक है कि आदेशिका तामिलकर्ता न केवल उस समय और तरीके का उल्लेख करे जिस प्रकार से समन्स तामिल की गयी, बल्कि उस व्यक्ति का नाम और पता भी अंकित करना चाहिए जिसने समन्स प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान की हो और समन्स के परिदान व सुपुर्दगी का गवाह हो। वर्तमान मामले में, आदेशिका तामीलकर्ता केवल दास के बयान और सम्मन पर किये गए पृष्ठांकन को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट दर्शित होता है कि उस व्यक्ति का नाम और पता का उल्लेख नहीं किया गया है जिसने समन्स प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान की है कि उसके समक्ष नोटिस दिया गया था। इससे यह प्रतीत होता है कि आदेशिका तामीलकर्ता केवल दास समन्स के चस्पा तामिली का रिपोर्ट देते समय वह वादी के साथ मिलीभगत में अपना कार्य कर रहा था।

कुंजलाल पूर्वोक्त पर निर्भरता के संबंध में, मेरा यह विचार है कि उस व्यक्ति का नाम और पता न बताना जिसने घर की पहचान की और उस व्यक्ति का नाम और पता न बताना जिसे नोटिस दिया गया और उसके द्वारा समन्स लेने से मना किया जाना प्रतिवादी पर तामिली के नही होने के समान है और यह आधार प्रतिवादी को एक पक्षीय आज्ञाप्ति को निरस्त करने के लिए आवेदन करने का वैध आधार प्रदान करता है। परिणामस्वरूप, विविध न्यायिक प्रकरण संख्या 17/2004 में प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 18.01.2006 पूर्णतः विधि–विपरीत है और दीवानी वाद नं. 44–B/2003 में पारित एक पक्षीय निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 18.06.2004 निरस्त किए जाने योग्य है।

जहाँ तक श्री अमियकांत तिवारी का यह तर्क है कि प्रतिवादी/अपीलकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, वह खारिज किया जाना योग्य है। वादी ने आदेशिका तामीलकर्ता केवल दास के साथ मिलीभगत कर समन्स चस्पा करने का एक झूठा पृष्टांकन के साथ का तामिल रिपोर्ट प्राप्त किया। प्रतिवादी ने निर्णय और आज्ञप्ती पारित किए जाने की जानकारी होने के पश्चात निर्धारित परिसीमा अवधि के अंदर मय हलफनामा आवेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए, अपीलकर्ता/प्रतिवादी पर लागत खर्च लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

फलस्वरूप, एम.ए. स्वीकृत किया जाता है। प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा एम.जे.सी. संख्या 17/2004 में दिनांक 18.01.2006 पारित आदेश अपास्त किया जाता है। दीवानी वाद संख्या 44–B/2003 में दिनांक 18.06.2004 को पारित एक पक्षीय निर्णय और आज्ञाप्ति भी निरस्त किया जाता है। पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे 07.12.2006 को प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव के समक्ष उपस्थित होवें।

स्थगन याचिका एम.सी.पी. नं. 194/2006 तदनुसार निस्तारित की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रमाणित प्रति नियमानुसार।

सही/–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: Dr. Shiv Kumar Shrivastava (Advocate).